

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर

पारी आदि बनाम राजस्थान सरकार आदि

किस्म मुकदमा- इजराय

प्रकरण संख्या 41 / 2018

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
22.06.18	<p>आज यह पत्रावली प्रार्थी द्वारा जरिये वकील इजराय प्रार्थना पत्र डिक्री दिनांक 11.06.2018 की पालना हेतु प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई । दर्ज रजिस्टर की जावे । डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार सूरतगढ के नाम तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 24.07.2018 को पेश हो ।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ</p>	
24.7.18	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली उपस्थित। बार संघ ने कार्य स्वयंसेवक सूरतगढ पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त/अपवाद कर/भ्रमण पर है। पत्रावली आदेश कार्यवाही दिनांक 22.3.18 को पेश हो।</p>	
22.3.19	<p>पत्रावली पेश हुई प्रार्थी/ वकील उभय पक्ष द्वारा SDO साठ वीरे पर/अवकाशपर/सूरतगढ अन्य कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 22.3.19 को पेश हो।</p>	
08/04/19	<p>पत्रावली पेश हुई प्रार्थी/ वकील उभय पक्ष द्वारा SDO साठ वीरे पर/अवकाशपर/ अन्य कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 08/04/19 को पेश हो।</p>	
25/04/19	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपर पक्ष प्रार्थी ने पत्रावली डिक्री पालना हो चुकी है। कोई कार्रवाई शेष नहीं है। अतः डिक्री की पालना हो जाने के पत्रावली में कोई कार्रवाई शेष नहीं है। पत्रावली इन्हीं स्तर पर सौंप दी जाती है। अतः फर्द अहकाम जारी किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ</p>	

[Handwritten Signature]